भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

RBA No. 62 /2021

No. 2018/Ac-II/21/2/ARPAN

New Delhi, dated 18.11.2021

CMDs,
All Public Sector Banks
Disbursing Railway pension.

Sub:- Replacement of BSR code with IFSC code in e-pension debit scrolls.
Ref:- Ministry of Railways letter no. D-43/43/2020-FE-III dated 21.7.2020 (RBE no. 55/2020)

At present, e-pension debit scrolls received from PSBs contain BSR code of the bank branch disbursing Railway pension as one of the mandatory fields. Reconciliation of pension payments are done by Railways after mapping this BSR code to the corresponding IFSC code of the pensioner's bank branch. This process is time consuming and is posing difficulty in reconciliation of pension debits. Now that filling of BSR code by the pensioners on their pension claims forms has been dispensed with since 2020 vide MoR's letter cited ibid, reconciliation of pension debits for these post- 2020 PPOs has become a challenge for want of BSR code for mapping .

It is therefore imperative that e –pension debit scrolls contain the details of IFSC code of the pension disbursing Bank Branch for smooth reconciliation.

You are requested to kindly arrange to send the e-scrolls with the details of IFSC code instead of BSR code hence forth.

(Sanjeev Sharma)
OSD/Accounts
Railway Board

Copy to:1. CGM/RBI/DGBA with request to issue suitable advisory to all PSBs.
2.PFA/WR w.r.t their letter no. Pension/05372/E789/ARPAN-PSBs/escoll/1date:05-07-2021
3. PFAs/all ZRs and PUs

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

आरबीए सं. 62/2021

सं.2018/एसी-II/21/2/एआरपीएएन

नई दिल्ली, दिनांक: 18.11.2021

मुख्य प्रबंध निदेशक,
रेलवे पेंशन संवितरित करने वाले
सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक।

विषय: ई-पेंशन डेबिट स्क्रॉल में बीएसआर कोड का आईएफएससी कोड से प्रतिस्थापन।
संदर्भ: रेल मंत्रालय का दिनांक 21.07.2020 का पत्र सं.डी-43/43/2020-एफई-III (आरबीई सं.55/2020)

वर्तमान में, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों से प्राप्त ई-पेंशन डेबिट स्क्रॉल में रेलवे पेंशन संवितरित करने वाली बैंक शाखा का बीएसआर कोड अनिवार्य रूप से लिखा होता है। रेलवे द्वारा पेंशन भुगतान का समाधान पेंशन संवितरित करने वाली बैंक शाखा के इस बीएसआर कोड की तदनुरूपी आईएफएससी कोड से मैपिंग करने के बाद किया जाता है। इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है और पेंशन डेबिट के समाधान में कठिनाइयां आती हैं। अब चूँकि रेल मंत्रालय के उपर्युक्त उल्लिखित पत्र के तहत वर्ष 2020 से पेंशनभोगियों द्वारा उनके पेंशन दावा फॉर्म पर बीएसआर कोड लिखना समाप्त कर दिया गया है, इसलिए, बीएसआर कोड की मैपिंग के अभाव में वर्ष 2020 के बाद से इन पीपीओ के लिए पेंशन डेबिट का समाधान करना चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है।

अत:, यह आवश्यक है कि सुगमता से समाधान के लिए ई-पेंशन डेबिट स्क्रॉल में पेंशन संवितरित करने वाली बैंक शाखा के आईएफएससी कोड का विवरण दिया जाए।

अनुरोध है कि अबसे बीएसआर कोड के स्थान पर आईएफएससी कोड के विवरण सहित ई-स्क्रॉल भेजने की व्यवस्था की जाए।

(संजीव शर्मा)
विशेष कार्य अधिकारी/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि: 1. सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य महाप्रबंधक/भारतीय रिजर्व बैंक/डीजीबीए को उपयुक्त एडवायज़री जारी करने के अनुरोध सहित।
2. प्रधान वित्त सलाहकार/पश्चिम रेलवे, दिनांक 05.07.2021 के पत्र सं.पेंशन/05372/ई789/एआरपीएन-पीएसबी/ईस्क्रॉल/1 के संबंध में।
3. प्रधान वित्त सलाहकार/सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।